राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
30वीं बैठक - दिनांक : 23 सितम्बर, 2009 का कार्य वृत्त

उत्तराखंड में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जून, 2009 तक की गई प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य के मुख्य मंत्री माननीय डा. रमेश पोखरियाल ''निशंक'' की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 30वीं बैठक होटल मधुबन, देहरादून में दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा उपस्थित वरिष्ठ अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर सम्पन्न किया गया।

इस बैठक में वरिष्ठ अतिथि श्री इंदु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव, श्री एन. एस. नपलच्याल, अपर मुख्य सचिव, श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्री गौतम कांजीलाल, मुख्य महाप्रबंधक, श्री डी. मजुमदार, महाप्रबंधक, दिल्ली मण्डल, भारतीय स्टेट बैंक, श्री पी. दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड एवं श्री विक्रम एस, बाजवा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

<u>श्री गौतम कांजीलाल, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -</u>

माननीय मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के अभिनन्दन के पश्चात श्री गौतमकांजी लाल ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा राज्य के विकास में योगदान एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता हेतु विशेष आभार प्रकट किया। उन्होने इस क्रम में चलाई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा जून, 2009 तक की गई प्रगति के समेकित आँकड़ों के विषय में सदन को संक्षिप्त जानकारी प्रदान कराई।

श्री कांजीलाल द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुछ निर्देश जारी किए थे जिन पर कार्रवाई की गई है। **ऋण-जमा अनुपात** जो इस बैठक में एक विशेष बिंदु रहा है उसे बढ़ाने के लिए सभी बैंकों ने भरसक प्रयत्न किए हैं। ऋण-जमा अनुपात जो कि मार्च, 2009 में 38.42 प्रतिशत था वह बढ़कर जून, 2009 में 40.21 प्रतिशत हो गया है। साथ ही उन्होने यह अवगत भी कराया कि अगर बड़े सार्वजनिक उपक्रम की जमा राशि को निकाल दिया जाए तो राज्य में ऋण-जमा अनुपात लगभग 46 प्रतिशत हो जाता है। इन खातों में अधिक शेष जमा राशि के कारण राज्य का ऋण-जमा अनुपात के प्रतिशत में कमी दर्ज होती है। उन्होने आगे कहा कि हालाँकि राज्य का ऋण-जमा अनुपात कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक पहँचे। उन्होने इस विषय में सभी बैंकर्स की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार **वार्षिक ऋण योजना** के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य को रु. 5247.48 करोड़ से बढ़ाकर रु. 6041.24 करोड़ कर दिया गया है जिसके सापेक्ष में सभी बैंकों ने मिलकर रु. 1354.03 करोड़ की वृद्धि प्राप्त की है जोकि लक्ष्य का लगभग 22.41 प्रतिशत है। उन्होने सदन को अवगत कराया कि प्रथम तिमाही में ऋण वितरण कम होता है फिर भी लगभग लक्ष्यों का एक चौथाई बढ़त प्राप्त कर ली गई है। उन्होने आशा व्यक्त की कि सितम्बर, 2009 तक सभी बैंक मिलकर लक्ष्यों का 50 प्रतिशत प्राप्ति कर लेंगे। साथ ही उन्होने कहा कि हमारा उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्त करना होना चाहिए ताकि वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो सके। उन्होने आगे अवगत कराया कि इस क्षेत्र में कुछ बैंकों के अतिरिक्त लगभग सभी बैंकों ने अच्छा कार्य किया है ।

किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में उन्होने सदन को अवगत कराया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार वार्षिक लक्ष्य को 50,000 से बढ़ाकर दोगुना यानी 1 लाख कर दिया गया है। इस तिमाही में लगभग 19000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। जोकि लक्ष्य के सापेक्ष कम हैं। उन्होने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य लक्ष्य का 110 प्रतिशत प्राप्ति का होना चाहिए। इस विषय में एक सकारात्मक पहलू यह परिलक्षित हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु बैंकों को जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं वे लगभग सभी स्वीकृत किए गए हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सभी किसानों को कृषि ऋण सुविधा अवश्य ही उपलब्ध कराई जाए।

विभिन्न **सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं** में बैंकों को कम आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन्होने चिंता व्यक्त की। उन्होने आगे कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर इस विषय में अग्रिम रणनीति तैयार करेंगे।

उन्होने सदन को अवगत कराया कि राज्य में **लघु उद्योग ऋण** स्वीकृति में अच्छा कार्य हुआ है जिसके अंतर्गत 1159 प्रार्थना पत्रों के विरुद्ध 1151 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों के सकारात्मक रुख के कारण आवेदन पत्रों के अस्वीकृतता में कम आई है। साथ ही उन्होने कम वसूली पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वसूली दर मात्र 80 प्रतिशत है जोकि 90-95 प्रतिशत होनी चाहिए।

उन्होने सदन को अवगत कराया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुछ माह पहले राज्य के विभिन्न **स्वयं सहायता समूहों की 25 महिला सदस्यों** को **आंध्र प्रदेश** के स्वयं सहायता समूह के शैक्षिक दौरे पर ले जाया गया ताकि वहाँ के अनुभवों को राज्य में प्रतिकृत कर सकें। उन्होने उपस्थित सभी बैंकों अधिकारियों से आग्रह किया कि स्वयं सहायता समूहों को आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में सफल योजनाओं को उत्तराखंड में प्रतिकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें।

उन्होने माननीय मुख्यमंत्री से बैंकों द्वारा जारी **वसूली प्रमाण पत्रों** पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा की। उन्होने **महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों समुदाय** को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

अंत में उन्होने **माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन** के लिए आभार प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि सभी बैंक समग्र प्रयासों से वार्षिक लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्त करेंगे।

अंत में उन्होने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थिति प्रतिभागियों का स्वागत एवं अपनी शुभ कामनाएं प्रदान करते हुए पिछली बैठक में लिए गए **निर्णयों की समीक्षा** की तथा कुछ नई योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होने विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आशा व्यक्त की कि इस बैठक से पूर्व उन मुद्दों की समीक्षा की गई है। उन्होने उद्योग विभाग के अधिकारियों से **उत्तराखड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008** की प्रगति के विषय में विस्तृत जानकारी मांगी और इस योजना के लागू करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु उपाय सुझाने को कहा। आगे उन्होने सदन को अवगत कराया कि राज्य की प्रगति एवं नवयुवकों को रोजगार देने हेतु अभी हमें बहुत कार्य करना शेष है। उन्होने प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उन्हें लगता है कि नीति में को खामी है तो उसे दूर करना होगा। अगर नीति बनने के बाद अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती तो उनके असफल होने के कारणों का अन्वेषण करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होने पिछली बैठक में **प्राकृतिक संसाधनों** के उपयोग के सुझाव को इंगित करते हुए हुए कहा कि लक्ष्य बनाने में कहीं न कहीं चूक हो रही है। क्योंकि योजनाएं लाभार्थियों तक नहीं पहँच पा रही हैं। यह तय हुआ था कि उत्तराखंड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर योजनाएं तैयार की जाए और उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि उन्हें लाभार्थियों तक पहँचाया जा सके। इस विषय में उन्होने प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ अध्ययन कर नई योजनाओं तैयार करने को कहा तथा इन योजनाओं पर बैंकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श एवं वर्तमान योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने को निर्देशित किया।

उन्होने पिछली बैठक में सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर संबंधित जिलों में ऋण-जमा अनुपात को सुधारने हेतु कार्य करने को कहा था। जिला नैनीताल, उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार को छोड़कर बाकी जिलों में ऋण-जमा अनुपात लगभग स्थिर है एवं विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस विषय में उन्होने असंतोष प्रकट करते कहा कि इन जिलों के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर हमें ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाना होगा। उन्होने जिला स्तर पर स्थाई समितियों द्वारा लिए गए महत्वकांक्षी निर्णयों को अन्य जिलों में भी लागू करने पर जोर दिया तथा बैंकर्स के अनुभवों से लाभ उठाकर राज्य द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं को सफल बनने तथा जिलों की प्रगति करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के विषय में उन्होने अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों में कमी, स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के तुरंत ऋण वितरण एवं कार्य स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य सचिव से विभिन्न विभागों की सक्रियता बढ़ाने तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजना हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया तथा संबंधित विभागों को अपने स्तर पर संबंधित योजना की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया।

उन्होने ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा तथा राज्य के नवयुवकों एवं महिलाओं की सक्षमता के अनुरुप योजनाएं तैयार कर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उपायों पर शोध करने को कहा। उन्होने विभिन्न ऋण योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकारी तंत्र के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

उन्होने **किसान क्रेडिट कार्ड तथा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** में हुई प्रगति को तेज करने पर जोर दिया और साहसिक खेल जैसे स्कींग, रैफ्टिंग इत्यादि खेलों को बढ़ावा देने को कहा। साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस तरह की नई योजनाएं तैयार कर नवयुवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करें तथा उपलब्ध अनुदान राशि का उपयोग वर्ष के अंत तक अवश्य करने को कहा ताकि यह अनुदान राशि रद्द न हो जाए।

उन्होने **समाज कल्याण विभाग** के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें लीक से हट कर नई योजनाएं तैयार करने को कहा जिससे आम लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होने अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु विशेष ध्यान देने को कहा। सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में बैको को कम आवेदन पत्र प्राप्त होने पर चिंता व्यक्त की तथा इस विषय में विशेष प्रयास करने को कहा तथा महिलाओं के विकास हेतु विशेष योजनाएं तैयार करने को निर्देशित किया। उन्होने बैंकों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना की।

श्री महीप कुमार, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यह अवगत कराने पर कि पिछली बैठक दिनांक 30 जून, 2009 को आयोजित की गई थी तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम अगली बैठक जो कि माह नवम्बर, 2009 में आयोजित की जाएगी, देखा जा सकेगा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने उत्साह प्रकट करते हुए आशा प्रकट कि आगामी बैठक में परिणाम अच्छे होंगे। साथ ही उन्होने कुछ पहाड़ी राज्य जैसे - मणीपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश एंव जम्मू और कश्मीर राज्यों से प्रायोजित ऋण योजनाओं का तुलनात्मक विवरण तैयार करने को कहा ताकि इन राज्यों में हो रही प्रगति का अनुकरण कर हमारा राज्य भीं उन उपायों का उपयोग कर लाभान्वित हो सकें।

उन्होने राज्य में **जड़ी-बूटी की पैदावार** को बढ़ाने पर जोर दिया तथा सदन को अवगत कराया कि कुछ आयुवेर्दिक सस्थाएं राज्य से रु. 1000 करोड़ से 1500 करोड़ की जड़ी-बूटियाँ खरीदना चाहते हैं। जब यह धन राशि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचेगी तो वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इस विषय के लिए पृथक प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना एवं विशेष योजना तैयार करने पर उन्होने बल दिया। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माह दिसम्बर,2009 तक **जड़ी-बूटियों के तीन क्लस्टर हर ब्लाक** में तैयार किए जा रहे हैं तथा यह योजना सभी जनपदों में बैकों के सहयोग से लागू की जा रही है। इस योजना की सराहना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने **कृषि एवं उद्यान विभाग** को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने एवं योजना का प्रचार-प्रसार करने को कहा।

अंत में उन्होने उत्तराखड राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के **प्राकृतिक संसाधनों** का उपयोग कर राज्य को एक **आदर्श राज्य बनाने की चुनौती बैकों** को दी तथा शुभ कामनाओं और धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने श्री गौतमकांजी लाल, मुख्य महप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल की 30 सितम्बर, 2009 पर सेवा निवृत्ति के अवसर पर एक शाल ओढ़ाकर अभिनन्दन किया तथा उनके द्वारा राज्य की प्रगति में दिए गए विशेष योगदान की प्रशंसा एवं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए उन्हें भविष्य में भी अपने कुशल अनुभवों से मार्गदर्शन प्रदान करने का आग्रह किया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन के उपरांत मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने सदन को अवगत कराया कि राज्य का अंतिम ग्राम माणा हमारे बैंक द्वारा अंगीकृत किया गया है। वहाँ स्थित एक चाय की दुकान जो कि भारत-चीन सीमा पर अंतिम दुकान के रुप में प्रसिद्ध है का वित्तपोषण एवं पुनरुद्धार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा है ताकि वह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनें। हमारे बैंक द्वारा बद्रीनाथ से माणा तक पथ के

दोनों तरफ 10,000 **पौधरोपण का कार्य** किया जा रहा है। मुख्य सचिव के आग्रह पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने देहरादून को हरित बनाने के लिए पौधरोपण करने का आश्वासन दिया। उन्होने आगे सदन को अवगत कराया कि यात्रा मार्ग पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **9 नई शाखाएं** खोली जा रहीं हैं तथा इस मार्ग पर स्थित सभी शाखाओं में **ए.टी.एम.** की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के त्रैमास जून, 2009 तक के आँकड़े तथा आई.बी.ए. के आर्थिक पैकेज माह सितम्बर, 2009 तक की प्रगति के आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा की गई। इस प्रस्तुतीकरण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि **चमोली एवं टिहरी जिले की तरह** ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने हेतु प्रत्येक जिले मे विशेष बैठक की जाए।

उन्हाने आगे सभी बैंकों को निर्देशित किया कि रु. 1 करोड तक के ऋण **क्रेडिट गांरटी फण्ट ट्रस्ट आफ इण्डिया (सी.जी.एफ.टी.एस.आई.)** के अंतर्गत बिना संपर्शिवक प्रतिभूति (Collateral Security) के दिए जाएं। उन्होने इस योजना के प्रचार की आवश्यकता पर जोर दिया तथा सभी बैंकों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस पर महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि **उपरोक्त योजना को लागू करना हर बैंक की जिम्मेदारी है** तथा ऋणी से निर्धारित शुल्क वसूल कर उपरोक्त योजना का लाभ ऋणी को प्रदान किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव (वित्त) ने बैंकों के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य पेंशन के वितरण हेतु हुई वार्तालाप के संदर्भ में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अन्य बैंकों को भी इस विषय में अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है ताकि इस योजना को शीघ्र ही लागू किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने पर जोर दिया। इस पर महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि **कम बैंक / बैंक रहित जिलों / ब्लाकों में शाखाएं खोलने हेतु एक विशेष उप-समिति का गठन** राज्य एवं जिला स्तर पर करने के निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं जिसके अनुसार कम बैंक वाले क्षेत्रों मे शााखांएं खोलने हेतु हर माह में एक विशेष बैठक के आयोजन के उपरांत रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाएगी तथा यह मुद्दा **राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों का एक स्थाई एजेण्डा** रहेगा।

अपर मुख्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि जिला पिथौरागढ़, ब्लाक धारचूला में कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण छूट एवं ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत कृषि ऋणों को बट्टे खाते नहीं किया गया। उन्होने संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि इस विषय में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव का संबोधन -

मुख्य सचिव ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बैंठक में उपस्थिति समस्त सहभागियों का स्वागत करते हुए सभा को अवगत कराया कि अब तक बैठक में सभी प्रमुख मुद्दे जैसे **ऋण-जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, शाखा विस्तार** इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होने तीनों बैंकर्स स्थाई समितियों जैसे - कृषि, समाज कल्याण एवं अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थाई समिति की बैठकों का आयोजन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक से पहले संपन्न करवाने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक मुद्दे पर इन बैठकों में चर्चा हो सके। उन्होने प्रशासन के विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि लक्ष्य आदि मुद्दों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक से पहले ही निपटा लिया जाए ताकि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ठोस निर्णय लिए जा सकें। उन्होने आगे कहा कि यह हमारी सभी का सामूहिक दायित्व है कि राज्य की विभिन्न ऋण योजनाओं को सुचारु रुप से लागू किया जा सकें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हमें परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए ना कि केवल लक्ष्यों पर। उन्होने आगे कहा कि संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करना होगा तथा योजनाओं में कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि इस विषय में अपने सुझाव संबंधित विभागों को प्रेषित करते रहें ताकि इन योजनाओं में सुधार किया जा सके।

अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

सभा के अंत में सहायक महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु 30 सितम्बर, 2009 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 15 अक्तूबर, 2009 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, को भेजने हेतु कहा गया तथा उपस्थित विशिष्ठ अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।